



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 117/ 2026

विजय कुमार

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं 11 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राहुल श्रीवास्तव, आदर्श सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आदर्श सिंह, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 1 के विवरण का सुधार करने के लिए संशोधन हेतु एक आवेदन दायर किया है, ताकि इसे उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग के स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग किया जा सके। आवेदन को अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।
3. आवेदन औपचारिक प्रकृति का है और इसे स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता याचिका में तत्काल आवश्यक सुधार करेंगे।
4. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने भूमि गाटा संख्या 222 (क्षेत्रफल 0.5240 हेक्टेयर), 226 (क्षेत्रफल 0.0860 हेक्टेयर), 50 (क्षेत्रफल 0.0380 हेक्टेयर) और 323 (क्षेत्रफल 0.610 हेक्टेयर) पर किये गए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देने की मांग की है, जो ग्राम- चक करीमाबाद, ग्राम सभा- मितई, परगना- देवा, तहसील- नवाबगंज, जिला- बाराबंकी में श्मशान/मरघट के रूप में दर्ज हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपजिलाधिकारी, नवाबगंज, जिला बाराबंकी द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि संबंधित भूमि पर कुछ अस्थायी अतिक्रमण थे जिन्हें हटा दिया गया है और याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण हो गया है। लिखित निर्देशों की प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।
6. तदनुसार, लिखित निर्देशों में दिये गए बयान के संदर्भ में याचिका को निस्तारित किया जाता है।
7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि याचिकाकर्ता का नाम विजय कुमार है, जबकि इस न्यायालय का कंप्यूटर सिस्टम उनका नाम विनय कुमार प्रदर्शित कर रहा है।
8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय के अभिलेख/कंप्यूटर सिस्टम में याचिकाकर्ता का नाम विनय कुमार से परिवर्तित कर विजय कुमार कर दिया जाए।

25 फरवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)